न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 413/2024 दायर दिनाँक 30.12.2024

वादीया

1. लक्ष्मी देवी दत्तक पुत्री स्व. गिरधारी पत्नी मेवाराम जाति बलाई (मेघवाल) निवासी कटारिया बास डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. अली हसन पुत्र अशरफ खां जाति पठान निवासी आनन्द भवन के सामने डीडवाना
2. गुलमान हसन पुत्र स्व. अशरफ खां जाति पठान निवासी छापरी गेट डीडवाना
3. इस्लाम पत्नी मो. अली
4. आबिदा बानो पुत्री मो. अली पत्नी अयुब खां
5. जुबैदा पुत्री मो. अली पत्नी मकसुद खां
6. फिरोज खां पुत्र खुर्शीदा बानो पत्नी मकसुद खां समस्त जाति पठान निवासीगण नागौर रोड डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान।
7. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत 88,188 R.T.Act., 136 L.R.Act में
प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 C.P.C.

उपस्थितः–

1. श्री अल्ताफ हुसैन वकील, वादीया की ओर से।
2. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 18.08.2025

वाद में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के आम मुख्त्यार मो. आरीफ पुत्र अली हसन जाति पठान निवासी आन्नद भवन के पास, पठानों की छोटी पोल की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का दिनांक 21.07.2025 को पेश हुआ। प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादीया द्वारा एक मिथ्या तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया हुआ है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

वादीया ने अपने आप को उक्त वाद में स्व. गिरधारी की दत्तक पुत्री बताकर उक्त वाद पेश किया है। जबकि किसी प्रकार का कोई गोदनामा उक्त वाद के साथ पेश किया है जिससे वादीया को वादपत्र पेश करने का कोई अधिकार पैदा नहीं होता। वादीया ने मिथ्या तथ्य अंकित कर खेत खसरा संख्या वर्तमान 272 को गिरधारी की बताई है तथा अपने आपको मिथ्या रूप से गिरधारी की गोद पुत्री बताई है। वर्तमान खेत खसरा नम्बर 272 जिसके पुराने खसरा नम्बर 220 व उससे पुराने खसरा नम्बर 143 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा [illegible] है। उक्त खेत में आज दिन तक कभी भी वादिया व उसके परिवार का नाम रेकर्ड में दर्ज नहीं [illegible] वादिया द्वारा जो गिरदावरी में एक मात्र गिरधारी जिसके [illegible] नहीं है के नाम के आधार पर अपने आपको को मिथ्या गिरधारी की गोद पुत्री ब[illegible] गया है उक्त संपति में हक जताया गया है उक्त संपति क[illegible] भी किसी गिरधारी के नाम व्यक्ति की नहीं रही है वादिया द्वारा बही भाट का फर्जी दस्तावेज पेश किया [illegible] है तथा उक्त खेत के संबध में फर्जी हक अधिकार जताया गया है। वर्तमान में प्रतिवादीगण की खेत की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:20:25 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

कीमत बढ जाने से वादिया के मन में लालच पैदा हो गया है तथा भूमाफियों से मिलकर प्रतिवादीगण के खेत पर झुठा हक अधिकार जता रही है। वादिया के खुद के कथनों से ही स्पष्ट है कि वादिया ने पूर्णरूप से झुठे कथन अंकित किये है। वादिया एक तरफ तो कहती है कि वह गिरधारी की गोद पुत्री है एवं दुसरी तरफ वादिया यह कहती है कि गिरधारी के भाई के लडके से वादिया की शादि हुई है जबकि वादिया हिन्दु जाति की महिला है तथा हिन्दु जाति में बहन भाई की शादि होना नामुमकिन है। इससे स्पष्ट है कि वादिया पूर्णरूप से झुठा मुकदमा किया है। खेत खसरा नम्बर 143 में कभी भी गिरधारी का कोई हक अधिकार नहीं रहा है। वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकल खतौनी सम्वत् 2006 मालिक का नाम सांवत खा दर्ज है। वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज संवत् 2011 से 2014 में भी मालिक का नाम सांवत दर्ज है। गिरधारी का नाम कोई खातेदारी नहीं है एवं संवत् 2019 से 2022 में भी खातेदार का नाम गिरधारी दर्ज नहीं है। केवल मात्र गिरधारी जिसके पिता के नाम अंकित नहीं है, का नाम काश्तकार कॉलम में दर्ज है। खातेदारी मे किसी प्रकार का कोई गिरधारी नाम दर्ज नहीं है एवं गिरधारी की वल्दीयत अंकित नहीं हैं, न ही सकुनत अंकित है। जबकि खातेदारी में सांवत खां का नाम दर्ज है एवं इसके पश्चात खातेदारी निरन्तर भूमि बेवा सांवत खां के नाम दर्ज होती आई है। वादिया द्वारा यह बताया गया है कि गिरधारी की मृत्यु आज से 60 वर्ष पूर्व हो चुकी है एवं उनके कियाकम के आधार पर उस समय वादिया नाबालिग थी तथा वादिया की शादी भी नहीं हुई थी। जिससे स्पष्ट है कि वादिया ने झुठे तथ्य अंकित किये है। वादिया का वाद वर्णित खसरान पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। जबकि वास्तविक रूप से उक्त खेत पर प्रतिवादीगण के पूर्वजों का ही कब्जा काश्त व खातेदारी रही है। वादिया द्वारा वर्ष 2024 में उक्त भूमि में कोई काश्त नहीं की हुई थी न ही आज दिन तक कभी कोई काश्त की है। उक्त पद में पूर्णरूप से झुठे तथ्य अंकित किये है। वर्तमान खेत खसरा संख्या 272 की खातेदारी वर्तमान खातेदारों की है एवं इससे पहले उक्त खातेदारी खन्नी बेवा सांवता के नाम दर्ज रहीं है एवं इससे पहले उक्त खेत की खातेदारी भूरी बेवा दाउ के नाम दर्ज रहीं है तथा भूरी से पहले उक्त खेत की खातेदारी सांवता के नाम दर्ज रहीं है। भूरी का नाम गलत इन्द्राज हो जाने की वजह से भू–प्रबंधक विभाग राजस्थान द्वारा खातेदारी दुरुस्त कर पुनः खन्नी बेवा सांवत के नाम दर्ज की गई तथा खातेदारी निरन्तर खन्नी के नाम रही। खन्नी ने अपने जीवनकाल में ही वसीयत भी अपने विधिक वारिसान के नाम की तथा निरन्तरता में खन्नी के इन्तकाल के बाद उक्त सम्पति के विधिक वारिसान के नाम दर्ज हो गई। उक्त खेत की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम विधिक तरीके से सही दर्ज हो रखी है। खेत खसरा नम्बर 143 का गिरधारी नाम का कोई व्यक्ति खातेदार नहीं रहा है। ए.आर.ओ साहब डीडवाना द्वारा दिनांक 31.01.1967 को पत्रावली संख्या 3892/67 में जो निर्णय पारित किया गया है वह सही एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात जारी किया गया है। वादिया के पास किसी प्रकार का कोई रजिस्टर्ड गोदनामा नहीं होने एवं न ही गिरधारीराम के नाम कभी कोई खेत खसरा संख्या 272 मे खातेदारी रहने एवं न ही वादिया के पास किसी प्रकार का कोई कब्जा होने से वादिया को वाद हैतुक उत्पन्न नहीं होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया ... वादिया का वाद मय खर्चा खारिज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:20:25 IST
Reason: SelfAttested

वादिया के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर ... जवाब में बताया कि वादिनी ने पूर्णरूप से सही तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है। वादिनी ने वाद स्व. गिरधारी की दत्तक पुत्री की हैसीयत से पेश किया है। वा... व उसके दत्तक पिता के परिवार का सजरा खानदान बही भाट द्वारा संधारित किया जाता था। वादग्रस्त भूमि वादिनी के पिता स्व. गिरधारी के नाम खातेदारी व कब्जा काश्त की

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

भूमि रही है प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में कोई हक अधिकार नही रहा प्रतिवादीगण के नाम गलत खातेदारी दर्ज हुई है। संवत् 2006 की खतौनी में सांवत खां का नाम भोमिया के रूप में दर्ज रहा भोमिया केवल मात्र खातेदार काश्तकार से टेक्स वसूली का ही दायित्व रखता था। उक्त भूमि सदैव स्व. गिरधारी बलाई के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। उक्त भूमि की खातेदारी खनी बेवा सांवत खां व उससे पूर्व भूरी बेवा दाउ खां के नाम गलत दर्ज हुई थी उनका वादिनी के पिता में कोई हक अधिकार नहीं रहा। पत्रावली संख्या 3892/67 खनी व भूरी द्वारा मिली भगत करके वादिनी व उसके पिता स्व. गिरधारी को बिना नोटिस सूचना दिये गलत खातेदारी दर्ज करई है खातेदारी निरस्त होने योग्य है। खन्नी नाऔलाद फौत हुई थी जिसके प्रतिवादीगण वारिस नहीं है उन्होने मिली भगत करके गलत खातेदारी प्राप्त की है। वादिनी के दत्तक पिता स्व. गिरधारी व उसके परिवार बही भाट रहा है जो नियमित आकर उनके वंश वृक्ष को अपनी बही में संधारित करता है वादिनी ने बही भाट रजिस्ट्रर की बही से हिन्दी अनुवाद कराकर उसकी प्रति न्यायालय में पेश की है जो दस्तावेज का विधिक महत्व व साक्ष्य में ग्राह्य दस्तावेज है। वादिनी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र वादिनी गादपुत्री नहीं होने व गोद का दस्तावेज पेश नहीं होने का उल्लेख करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है बिन्दु समस्त साक्ष्य परिक्षित होने व समस्त दस्तावेज का परिक्षण के करने के पश्चात ही गुणावगुण पर निस्तारित किये जा सकते है। उक्त आधार आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों में कवर्ड नहीं होने से प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमावे।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस बताया कि वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकल खतौनी सम्वत् 2006 मालिक का नाम सांवत खा दर्ज है। वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज संवत् 2011 से 2014 में भी मालिक का नाम सांवत दर्ज है। संवत् 2022 के पश्चात् संवत् 2027 से 2030 की जमाबंदी में भी खातेदारी मु. खनी बेवा सांवत खां के नाम रही है। गिरधारी का नाम कोई खातेदारी नहीं है एवं संवत् 2019 से 2022 में भी खातेदार नाम गिरधारी दर्ज नहीं है। केवल मात्र रेकर्ड गिरधारी जिसके पिता के नाम अंकित नहीं है, नाम काश्तकार कॉलम में दर्ज है। अतः प्रथम दृष्टया गिरधारी एवं गिरधारी के वारिसान का प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है। सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रार्थी के पूर्वज सांवत की खातेदारी की भूमि सहवन से संवत् 2022 में भूरी बेवा दाउखां के नाम दर्ज कर दी जिसे ए.आर. ओ साहब डीडवाना के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर जरिये राजीनामा पुनः खनी बेवा सांवत खां दर्ज करवाया गया। अतः खनी बेवा सांवत खां की खातेदारी भी ए.आर.ओ साहब के आदेश से दर्ज हुई है। वादिया ने अपने आपको गिरधारी की दत्तक पुत्री होना बताया है कि जबकि वादिया द्वारा ऐसा कोई विधिक दस्तावेज पेश नहीं किया गया है कि जिससे कि साबित हो सके की वादिया गिरधारी की दत्तक पुत्री हो एवं साथ ही वादिया ने अपने आप को गिरधारी के भाई के लडके से शादि होना बताती है जबकि हिन्दु रिति रिवाजों से बहन भाई की शादि नहीं होती है। अतः वादिया के वाद का वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने से वादिया का वाद खारीज किया जावे।

प्रतिउत्तर में वादिया के अधिवक्ता ने बताया कि संवत् 2011 से 2014 एवं 2006 की खतौनी में सांवत खां का नाम भोमिया के रूप में दर्ज रहा भोमिया केवल मात्र खातेदार काश्तकार से टेक्स वसूली का ही दायित्व रखता था। उक्त भूमि सदैव स्व. गिरधारी बलाई के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। उक्त भूमि की खातेदारी खनी बेवा सांवत खां व उससे पूर्व भूरी बेवा दाउ खां के नाम गलत दर्ज हुई थी उनका वादिनी के पिता में कोई हक अधिकार नहीं रहा। वादिया का पिता ही अपने उक्त खेत पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:20:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

काश्त करता था जिसका खसरा गिरदावरी में भी स्पष्ट उल्लेख है। वादिया के दत्तक माता पिता स्व. गिरधारी एवं उसकी पत्नी स्व. गिगली को संतान नहीं होने से समाज के लोगों की उपस्थिति में गुड बंटवाकर वादिया की प्राकृतिक माता पिता भूरी देवी व भागुराम से वादिया को गोद लिया था। जिसका बही भाट की बही में उल्लेख किया हुआ है। उक्त कथन साक्ष्य के दौरान तय होना है अतः उक्त कथन के आधार पर वादिया का वाद खारिज योग्य नहीं है। प्रार्थी ने मिलिभगत कर सेटलमेंट विभाग से गिरधारी का नाम हटाकर भूरी बेवा दाउखां के नाम दर्ज करवाया फिर राजीनामा पेश कर भूरी के स्थान खनी बेवा सांवत खां दर्ज करवाया। उक्त समस्त कार्यवाही आपस में मिलिभगत कर भौतिक कब्जाधारी वादीनी को बिना सूचना, सुनवाई का अवसर दिये कागजी तौर पर की गई। उक्त कार्यवाही से खन्नी को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। जो कि पूर्णतया गलत है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। उक्त हस्तगत मामलें में एक अनुसुचित जाति के व्यक्ति गिरधारी की कृषि भूमि को राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी आधार, कारण के स्वर्ण जाति मु. भुरी बेवा दाउखां पठान के नाम संवत् 2022 में दर्ज कर दी। उक्त खातेदारी प्रारम्भ से ही शुन्य रही है उसके पश्चात भूरी द्वारा जरिये राजीनामा खन्नी के नाम व प्रतिवादीगण द्वारा खन्नी को लाऔलाद फौत बताकर करवाये गये फौतगी इन्द्राज समस्त विधि विरूद्ध व शुन्य होने से समस्त इन्द्राज को हटाया जाकर वादीनी के नाम राजस्व रेकर्ड शुद्ध किया जाना न्याय की मंशा रही है। इस हेतु के साथ ही वादिया ने वाद प्रस्तुत किया है।

उभय पक्ष की बहस के दौरान कथित कथनों एवं तर्को पर मनन किया एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, वादिया के प्रार्थना पत्र के जवाब , वादिया के वाद एवं रेकर्ड का गहनता से अवलोकन किया। वादिया द्वारा स्व. गिरधारी की दत्तक पुत्री की हैसियत से वाद प्रस्तुत किया है वादिया द्वारा वादपत्र में रितिरिवाज अनुसार गुड बंटवाकर गोद लेना बताया है एवं गौदी पुत्री होने के संबंध में बही भाट की बही का उल्लेख होना अंकित किया है जिसकी वादिया द्वारा किसी प्रकार की कोई प्रति पेश नहीं की है और ना ही वादिया ने वाद में ऐसा कोई विधिक दस्तावेज पेश नहीं किया है कि जिससे साबित हो सके कि वादिया गिरधारी की दत्तक पुत्री हो जबकि वादिया का वाद का यह एक मुलभुत आधार था जो कि वादिया को वाद के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। साथ ही वादिया के अपने दत्तक पिता के भाई के लडके से शादि करने अथात् बहन भाई की शादि होना भी हिन्दु रितिरिवाज अनुसार वाद में संशय उत्पन्न करता है। जिससे की वादिया का वाद खारिज योग्य है।

दस्तावेज खतौनी संवत् 2006 में भूमि के मालिक का नाम सांवत खां दर्ज है। एवं खतौनी संवत् 2011 से 2014 में भी भूमि अधिकारी का नाम सांवत दर्ज है। गिरधारी वल्दीयत ....उक्त भूमि का काश्तकार दर्ज है संवत् 2022 के पश्चात् संवत् 2027 से 2030 की जमाबंदी में भी खातेदारी मु. खनी बेवा सांवत खां के नाम रही है। संवत् 2022 में सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त भूमि की खातेदारी भूरी बेवा दाउ के नाम दर्ज कर दी गई जिसे प्रार्थी द्वारा ए.आर.ओ डीडवाना के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर दुरूस्त करवा लिया गया और पुनः खातेदारी सांवत खां के वारिस खनी बेवा सांवत खां के नाम दर्ज हो गई। इस दौरान गिरधारी मात्र काश्तकार के अतिरिक्त किसी भी स्थिति में भूमि का खातेदार होना साबित नहीं होता है। अ[illegible]का वाद खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचनों के आधार पर प्रार्थी /प्रति[illegible] का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल [illegible] य वं न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है एवं वादिया का वाद परिपोषणीय नहीं होने से खारीज किया जाता है।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:20:25 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी परिपोषणीय एवं न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर, वाद वादी पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **18.08.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:20:25 IST
Reason: SelfAttested